

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :- महेन्द्र मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या 118/2008 (गत नम्बर 95/2007)

प्रार्थीगण

1. मेवाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी पालड़ी तहसील कुचामनसिटी
2. भंवरलाल पुत्र मगनाराम जाति जाट निवासी पालड़ी तहसील कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. पूसाराम पुत्र बोदूराम जाति गुर्जर निवासी पालड़ी तहसील कुचामनसिटी
2. रामेश्वर पुत्र बोदूराम जाति गुर्जर निवासी पालड़ी तहसील कुचामनसिटी
3. बनाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी पालड़ी तहसील कुचामनसिटी
4. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां
5. अतिरिक्त तहसीलदार कुचामनसिटी
6. उप-पंजीयक कुचामनसिटी

प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धा.212 R.T.Act

उपस्थित :- श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
श्री रामेश्वरलाल नेहरा अप्रार्थी संख्या 1,2 की ओर से

आदेश

दिनांक :- 3/11/15

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 लादूराम के वंशज है। ग्राम पालड़ी के गत खसरा नम्बर 36 रकबा 60 बीघा 19 बिस्वा भूमि लादूराम के कब्जा काशत व खातेदारी अधिकारो की रही है। सम्वत 2020 के पूर्व उनका स्वर्गवास हो जाने के बाद उक्त सम्पूर्ण भूमि पर उनके पुत्र मगनाराम, बनाराम, मेवाराम बहैसियत उत्तराधिकारी खातेदार काबिज हुए। उक्त भूमि मे से नावां कुचामन को जाने वाली सड़क बनने से उक्त भूमि मे से 4बीघा 13 बिस्वा भूमि कम हो गयी तथा शेष रकबा 56 बीघा 9 बिस्वा भूमि तीनों भाईयो के नाम सम्वत 2045 तक सम्मिलित खातेदारी दर्ज होती आ रही थी। मौके पर आपसी सुविधा अनुसार तीनों भाईयो ने पारिवारिक बंटवारा करीब 40 वर्षो पूर्व कर मौके पर अलग-अलग काशत करने लग गए। पश्चिमी तरफ की भूमि मगनाराम के कब्जा व बंट मे रही तथा बीच की मेवाराम के कब्जा काशत मे रही तथा पूर्वी तरफ की भूमि बनाराम के कब्जा काशत में रही। उक्त सड़क निकलने से तीनों भाईयो की भूमि सड़क के उत्तरी तरफ व सड़क के दक्षिणी तरफ रही। सड़क के उत्तरी तरफ की भूमि नवीन खसरा नम्बर 15 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 16 रकबा 0.21 हैक्टर खसरा नम्बर 17 रकबा 0.36 हैक्टर तथा सड़क के दक्षिणी तरफ की जमीन के नवीन खसरा नम्बर 63,64,65,66 कायम हुए। पारिवारिक बंटवारा स्वरूप नवीन खसरावार भौतिक कब्जा काशत अनुसार तीनों भाईयो ने निम्न प्रकार बंटवारा कर लिया :-

नवीन खसरा नम्बर	रकबा	हक हिस्सा
15	0.12 हैक्टर	सम्पूर्ण मगनाराम के कब्जा काशत में
63	0.01 हैक्टर	
64	3.10 हैक्टर	
कुल रकबा	3.23 हैक्टर	



उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

16	0.21 हैक्टर	सम्पूर्ण प्रार्थी मेवाराम के कब्जा काश्त व बंट मे रहा है ।
65	2.94 हैक्टर	
कुल रकबा		3.15 हैक्टर
17	0.36 हैक्टर	सम्पूर्ण अप्रार्थी बनाराम के कब्जा काश्त व बंट मे रहा है ।
66	2.70 हैक्टर	
कुल रकबा		3.06 हैक्टर

मगनाराम ने अपने बंट मे नया कुआ स्वयं के खर्चे से करीब 30 वर्ष बना लिया था जिस पर उनके भाईयो का कोई हक व अधिकार नही रहा है । मगनाराम के स्वर्गसोपरान्त उक्त भूमि उनके वारिस प्रार्थी भंवरलाल उपर्युक्त खसरा नम्बर 15,63,64 की सम्पूर्ण भूमि पर काबिज चला आ रहा है । प्रार्थी भंवरलाल की कुआ खसरा नम्बर 63 के पश्चिमी तरफ रहवासी ढाणी पक्के मकानात बनाए हुए है । जहाँ वह सपरिवार रह रहा है तथा कुए निर्माण के वक्त बालाजी महाराज का स्थान बनाया हुआ है जहा अभी अलग से स्व.भजन हेतु मंदिर निजी बनाया रखा है तथा खसरा नम्बर 63,64,65 पर प्रार्थी मेवाराम व अप्रार्थी बनाराम का हक व अधिकार नही है तथा खसरा नम्बर 16,65 की भूमि पर मेवाराम का कब्जा काश्त है जिस पर प्रार्थी भंवरलाल व अप्रार्थी बनाराम का हक नही रहा है तथा खसरा नम्बर 17,66 की सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नही रहा है । उक्त भूमि अप्रार्थी बनाराम के कब्जा व बंट में रही है । चूंकि बनाराम द्वारा अपने कब्जा व बंट की भूमि मे से सड़क के उत्तरी तरफ की खसरा नम्बर 17 की सम्पूर्ण भूमि का बेचान अन्य व्यक्तियों को कर देने से खरीददार उक्त भूखण्ड पर काबिज है तथा अप्रार्थी बनाराम के कब्जा में अब खसरा नम्बर 66 रकबा 2.70 हैक्टर भूमि है । प्रार्थीगण ने अपने कब्जा व बंट की भूमि की अलग तस्दीक करने हेतु पटवारी हल्का को कहा तो उसने मना कर दिया तथा नवीन खसरा नम्बर 15,16 की भूमि को अप्रार्थी नं.1,2, के खाते में दर्ज होना बताया गया जो कतई गलत है । नवीन भू-प्रबन्ध कार्यवाही में उनकी गलती से गत खसरा नम्बर 36 की भूमि नवीन खसरा नम्बर 15,16 के भूखण्ड को गत खसरा नम्बर 9 का भाग दर्शाते हुए बिना किसी अधिकार व कब्जा के खसरा नम्बर 15,16 की भूमि अप्रार्थी नं. 1,2 के नाम अंकित कर दी जबकि गत नक्शा व वर्तमान नक्शा शीट के मुताबिक गत खसरा नम्बर 36 में सड़क निकलने के बाद नवीन खसरा नम्बर 15,16,17 की भूमि सड़क से उत्तरी तरफ स्थित होना अंकित किया गया है नवीन खसरा नम्बर 15 की भूमि में जो प्रार्थी भंवरलाल के बंट की भूमि में पुण्यार्थियों द्वारा प्याउ का पक्का निर्माण व हॉज का निर्माण काफी वर्षो पूर्व कर दिया गया जो वर्तमान में कायम है । सड़क के उत्तरी तरफ की गत खसरा नम्बर 36 की उत्तरी सीमा गत भू-प्रबन्ध से कायम थी वही पर आज दिन मौके पर कायम ह तथा अपनी पैतृक कब्जा की भूमि के उत्तरी तरफ खसरा नम्बर 15,16,17 के पुरानी डोल प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 द्वारा लगाई हुई कायम है , अप्रार्थी संख्या 1,2, की जमीन खसरा नम्बर 15,16,17 के उत्तरी तरफ अवश्य स्थित है । लेकिन भू-प्रबन्ध अधिकारियों की गलती से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 के कब्जा काश्त की पैतृक भूमि नवीन खसरा नम्बर 15,16 के खाते में बिना किसी आधार व कब्जा के अंकन किया गया । मौके के कब्जा काश्त व अधिकारो के विपरीत असर नही पड़ सकता । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है । नवीन भू-प्रबन्ध कार्यवाही में एक साजिशी नामान्तरकरण संख्या 16,20 के जरिए बिना किसी आवेदन के भू-प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा गत खसरा नम्बर 9 के संयुक्त खाता का विभाजन कर अलग अलग खातेदारी देने व प्रार्थीगण के कदीमी कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 15,16 की भूमि के खाते में अप्रार्थीगण 1,2 के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया जो स्वतः क्षेत्राधिकार विहीन होने से स्वतः अवैध है तथा उक्त अंकन के आधार पर अप्रार्थीगण 1,2 को कोई अधिकार कभी नही मिल सकते । प्रथम दृष्टया उक्त भूमि पर प्रार्थीगणो के पूर्वजो से कब्जा काश्त व हक अधिकार रहा है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अगर खसरा नम्बर 15,16 की भूमि का हस्तान्तरण इत्यादि नही करने से अप्रार्थीगण 1,2 को पाबन्द किया जाता है तो उन्हे किसी प्रकार



45
 उपखण्ड अधिकारी
 एवं पटन सहायक कलक्टर
 कुजामनसिटी (नागौर)


की क्षति नहीं होगी । अगर अप्रार्थीगण 1,2 अन्य के बहकावे में आकर नाजायज स्वार्थपूर्ति हेतु हस्तान्तरण करने में सफल हो गए तो अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीगण को होगी । मौका स्थिति में परिवर्तन हो जावेगा । अनावश्यक मुकदमेंबाजी बढ़ जावेगी, जिससे कई पेचीदगियां होकर अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीगण को होगी । प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम पालड़ी के खसरा नम्बर 15 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 16 रकबा 0.21 हैक्टर में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व अधिकारों में अप्रार्थी नम्बर 1,2 न तो स्वयं किसी प्रकार का दखल डाले तथा न ही अपने एजेन्टों से डलवाए तथा मौका स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें अप्रार्थी संख्या 1,2 उक्त भूमि के बाबत हस्तान्तरण सम्बन्धी किसी प्रकार का दस्तावेज निष्पादित व पंजीकृत नहीं करावें तथा अप्रार्थी संख्या 1, 2 द्वारा हस्तान्तरण सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 6 पंजीयन हेतु स्वीकार नहीं करें, तथा अप्रार्थीगण संख्या 4,5 राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाई रखें इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमावें ।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया । जो शामिल मिसल किया गया । अप्रार्थी संख्या 3 के विरुद्ध प्रार्थीगण ने कोई अनुतोष नहीं चाहा है इसलिए इनके विरुद्ध कार्यवाही स्ट्रीक ऑफ की गई । अप्रार्थी संख्या 4,5,6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

अप्रार्थीगण 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्य मनगढ़त व काल्पनिक है । ग्राम पालड़ी के गत खसरा नम्बर 9 मे से 25 बीघा भूमि तथा खसरा नम्बर 10 मे से 14 बीघा 17 बिस्वा भूमि अर्थात् कुल 39 बीघा 17 बिस्वा भूमि दिनांक 3.2.1975 को विक्रेता भोलकी बैवा चौथूराम जाति जाट निवासी पालड़ा से अप्रार्थी संख्या 1 के पिता ने व अप्रार्थी संख्या 2 ने खरीद कर कीमत प्रतिफल राशि विक्रेता को रोकड़ी प्रदान कर मौके पर भौतिक कब्जा बरोज खरीद ही प्राप्त कर लिया था। तब से लेकर आज दिन उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपनी पैतृक एवं खरीद सुदा भूमि पर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं । गत खसरा नम्बर 9 व 10 के नवनी खसरा नम्बर 13,14,15,16 व 18 है जिसमे से 13,15,16,18 आज दिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कब्जे एवं खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 15,,16 मे किसी प्रकार का कोई सरोकार न ही है तथा न ही कभी भी कोई कब्जा काश्त खसरा नम्बर 15,16 मे प्रार्थीगणों का रहा है । प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बिल्कुल भी साबित नहीं होकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष मे बखुबी साबित है । क्योंकि खसरा नम्बर 15,16 की भूमि आज दिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कब्जासुदा भूमि है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बिल्कुल ही साबित नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण का कभी भी खसरा नम्बर 15,16 पर कब्जा काश्त नहीं रहा है जबकि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का बरोज खरीद से लेकर आज दिन तक निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थीगण को नहीं होकर अप्रार्थी को हो रही है, क्योंकि अप्रार्थी खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं इसलिए खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की इस्तदुआ है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के साथ खारिज फरमाया जावे ताकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ न्याय एवं इंसाफ हो सके एवं प्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की कब्जे सुदा खातेदारी की भूमि जो अप्रार्थी संख्या एक व दो का खरीदसुदा एवं पैतृक भूमि है इसमे खसरा नम्बर 15,16 में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी प्रार्थीगण नहीं करे ।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई तथा अप्रार्थी वकील द्वारा मौखिक बहस की गई । दोनों पक्षों द्वारा अपने अपने पक्ष में चालू जमाबन्दी एवं गत जमाबन्दी नकलो की छाया प्रतियां सम्मत 2010 से वर्तमान जमाबन्दी तक की प्रस्तुत की । मिलान क्षेत्रफल की छाया प्रति प्रस्तुत हुई साथ ही पर्चा लगान की छाया प्रति एवं एस.ओ.नावां के समक्ष प्रार्थना-पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत




 उपखण्ड अधिकारी
 एवं पदेन सहायक कलक्टर
 कुचामन सिटी (नामौर)

की । दोनो पक्षो के अधिवक्ताओ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एव जवाब प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए अपने अपने पक्ष में अस्थाई निषेधा को ताफैसला वाद पुख्ता किये जाने का कथन किया है । पालड़ी के गत खसरा नम्बर 36 रकबा 60 बीघा 19 बिस्वा बारानी प्रथम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 के पूर्वज लादू पुत्र लिछमण कौम जाट सा. देह खातेदार के नाम दर्ज चली आई है । तत्पश्चात कुछ भूमि 4 बीघा 13 बिस्वा सड़क सीमा मे चली गई । शेष भूमि 56 बीघा 9 बिस्वा मगना बना मेवा पि. लादू कौम जाट सा. देह खातेदार के नाम दर्ज चली आई । वर्तमान खसरा नम्बर 17,63,64,65,66 कुल रकबा 9.11 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 के नाम दर्ज चली आ रही है । खसरा नम्बर 13,15,16,18 अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 के नाम भूमि दर्ज चली आ रही है । खसरा नम्बर 13,15,16 की भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 53 से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल से गत खसरा नम्बर 9 से नये खसरा नम्बर 13,14,15,16 अंकित हुये तथा गत खसरा नम्बर 36 से नये खसरा नम्बर 17,63,64,65,66 अंकित हुये है ।

दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात बहस पर मनन किया गया । उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार प्रश्नगत विवादित भूमि पक्षकारान ने अपने अपने हक एवं अधिकार में होना एवं अपनी पैतृक भूमि होना बताया है । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त भूमि गत खसरा नम्बर 9 एवं 10 मे से 39 बीघा 17 बिस्वा भूमि दिनोंक 3.2.75 को जरिये बेचान क्रय करना बताया है । परन्तु किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । भू-प्रबन्ध से पूर्व के नक्शा ट्रेस एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से गत खसरा नम्बर 36 मे से सड़क निकल जाने के कारण आकृति में अन्तर नजर आ रहा है जिससे स्पष्ट हो रहा है कि कुछ हिस्सा गत खसरा नम्बर 36 का गत खसरा नम्बर 9 में जाकर मिला है तथा नये खसरा नम्बर 15,16 गत खसरा नम्बर 36 का हिस्सा प्रतीत होता है । दोनो पक्षो के द्वारा अन्य खसरा नम्बर को लेकर विवाद नहीं है केवल खसरा नम्बर 15,16 को लेकर ही मौके पर विवाद बना हुआ है । दोनो पक्षो को सुनने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन तथा अपूतर्नीय क्षति के बिन्दुओ को मध्यनजर रखते हुए तथा कानूनी व्यवस्था कायम रहने के लिहाज से सभी पक्षकारान को वाद के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अति आवश्यक है ।

अतः ग्राम पालड़ी के खसरा नम्बर 15 रकबा 0.12 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 16 रकबा 0.21 हैक्टर मे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणो को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वे मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

आदेश आज दिनोंक 3/11/2015 को सरे इजलास सुनाया गया ।



(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
कुचामनसिटी (नागौर)